भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2322

(दिनांक 19.12.2025 को उत्तर देने के लिए)

ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की सामग्री पर अनिवार्य पूर्व-प्रमाणीकरण जांच

2322. श्री एस. निरंजन रेड्डीः

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि ओटीटी प्लेटफ़ॉर्मों की सामग्री पर कमजोर नियामक जांच के कारण नाबालिग हानिकारक सामग्री के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं;

(ख) क्या सरकार ओटीटी सामग्री पर भी अनिवार्य पूर्व-प्रमाणीकरण जांच लागू करने की योजना बना रही है, जैसा कि चलचित्र अधिनियम के तहत फिल्मों के लिए अनिवार्य है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सूचना और प्रसारण एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री

(डॉ. एल. मुरूगन)

(क) से (ग): सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत डिजिटल मीडिया पर समाचार एवं समसामयिक विषयों के प्रकाशकों तथा ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशकों (ओटीटी प्लेटफॉर्मों) के लिए एक संस्थागत तंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से दिनांक 25.02.2021 को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश तथा डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 अधिसूचित किए हैं।

इन नियमों का भाग-III डिजिटल समाचार प्रकाशकों तथा ऑनलाइन सृजित सामग्री के प्रकाशकों (ओटीटी प्लेटफॉर्मों) के लिए आचार संहिता का प्रावधान करता है। आचार संहिता के अनुसार, ओटीटी प्लेटफॉर्मों पर यह दायित्व है कि वे किसी भी ऐसी सामग्री का प्रसारण न करें, जो वर्तमान में लागू किसी भी कानून के अंतर्गत निषिद्ध हो।

प्लेटफॉर्मों के लिए आवश्यक है कि वे सामग्री का आयु-आधारित वर्गीकरण करें तथा पर्याप्त एक्सेस नियंत्रण उपायों का उपयोग करते हुए बच्चों के लिए आयु-अनुपयुक्त सामग्री को प्रतिबंधित करें।

ये नियम निम्नानुसार तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र का भी प्रावधान करते हैं:

- स्तर- I: प्रकाशकों द्वारा स्व-विनियमन
- स्तर- II: प्रकाशकों के स्व-विनियामक निकायों द्वारा स्व-विनियमन
- स्तर- III: केंद्र सरकार द्वारा निगरानी तंत्र

आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निवारण तीन-स्तरीय शिकायत निवारण तंत्र के प्रावधानों के अंतर्गत किया जाता है तथा मंत्रालय को प्राप्त शिकायतों को सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2021 के अनुसार समाधान हेतु संबंधित ओटीटी प्लेटफॉर्मों को अग्रेषित किया जाता है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(ख) के अंतर्गत मध्यस्थों को अवैध सामग्री को हटाने अथवा उस तक पहुंच निष्क्रिय करने के लिए अधिसूचना जारी करने का प्रावधान है।

सरकार ने अश्लील सामग्री दिखाने के कारण भारत में सार्वजनिक पहुंच हेतु 43 ओटीटी प्लेटफॉर्मों को निष्क्रिय कर दिया है।

*****